

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना रौनापार

छेड़खानी का अभियुक्त गिरफ्तार

पीडिता द्वारा थाने पर उपस्थित होकर अभि० राहुल राय उर्फ आवेश राय पुत्र डब्लू राय उर्फ सर्वेश राय सा० जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा माह नवम्बर से पिछा करना व गन्दी गन्दी बाते करना तथा मारूती गाडी से हाथ निकालकर पकडने की कोशिश करना व जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मु०अ०सं० 162/2020 धारा 354ग/506 भादवि मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक: 22.08.2020 को प्रातः काल से ही अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थाना प्रभारी रौनापार के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में उ०नि० द्वारा मय फोर्स त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०सं० 162/2020 धारा 354ग/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वांछित अभियुक्त अभियुक्त राहुल राय उर्फ आवेश राय पुत्र डब्लू राय उर्फ सर्वेश राय उम्र करीब 23 वर्ष सा० जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को जोकहरा गेट के पास समय लगभग 11.30 बजे दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 162/2020 धारा 354ग/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता:-

1. राहुल राय उर्फ आवेश राय पुत्र डब्लू राय उर्फ सर्वेश राय सा० जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० मदन कुमार गुप्ता रौनापार आजमगढ़
2. हे०का० देवेन्द्र राय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का० श्याम नारायण सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना-रानी की सराय

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 03.07.20 को रानी की सराय थाना क्षेत्र के वादी द्वारा थाने पर तहरीर दी कि दिनांक 26.06.20 को रात्रि में अभियुक्त अमित पुत्र जितेन्द्र यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ व उसके कुछ दोस्त व रिश्तेदार अज्ञात के द्वारा मेरी पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला- फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 79/20 धारा 363/366 भादवि बनाम अमित यादव पुत्र जितेन्द्र यादव सा० खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था पीडिता की बरामदगी के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट की वृद्धि की गयी। जिसकी विवेचना उ०नि० सुल्तानसिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय रामायण सिंह के नेतृत्व में उ०नि० सुल्तान सिंह मय हमराही फोर्स के साथ कस्बा रानी की सराय में अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत हो रही थी कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सरायताजुद्दीन से लड़की भगाकर ले जाने वाला अभियुक्त अमित पुत्र जितेन्द्र यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ चेकपोस्ट पर खड़ा है कही भागने की फिराक में किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है इस सूचना पर विश्वास करके त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित पुत्र जितेन्द्र यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 79/20 धारा 363/366/376भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

अमित पुत्र जितेन्द्र यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० सुल्तान सिंह, का० मुनीष यादव, का० राकेश कुमार

थाना-रानी की सराय

महिला के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त 24 घण्टे में गिरफ्तार

दिनांक 21.08.20 को रानी की सराय थाना क्षेत्र की वादिनी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.08.20 को समय 08.00 बजे सुबह को अभियुक्त लालबिहारी हरिजन पुत्र स्व० रामनरेश ग्राम मोलनापुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ मेरे घर आकर मुझे गन्दी गन्दी गालियां देने लगे व मेरे द्वारा विरोध करने पर मेरा हाथ पकड़ लिये व छेड़खानी करने लगे किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर थाने आयी हूँ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 111/20 धारा 354(क)/504 भादवि बनाम लालबिहारी पुत्र स्व० रामनरेश सा० मोलनापुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ०नि० संजय कुमार सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय रामायण सिंह के नेतृत्व में उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराही फोर्स मुखबीर खास की सूचना पर मु०अ०स० 111/20 धारा 354(क)/504 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त लालबिहारी पुत्र स्व० रामनरेश सा० मोलनापुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ को मोलनापुर से समय 11.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

लालबिहारी पुत्र स्व० रामनरेश सा० मोलनापुर थाना रानी की सराय आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स० 111/20 धारा 354(क)/504 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० संजय कुमार सिंह, का० अंकित कुमार सिंह, हो०गा० सुभाष राम, हो०गा० त्रिभुवन राम

थाना- बरदह

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.8.2020 को व०उ०नि० मय हमराह उ०नि० मो० आसिफ का० अरविन्द पाल का० आफताब आलम द्वारा मु०अ०सं०-145/2020 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल कश्यप पुत्र स्व० शंकर कश्यप ग्राम बर्सा थाना बरदह आजमगढ़ को उसके घर से समय 9.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल कश्यप पुत्र स्व० शंकर कश्यप ग्राम बर्सा जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.111/18 धारा 302 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

2.145/2020 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व०उ०नि० मय हमराह उ०नि० मो० आसिफ का० अरविन्द पाल का० आफताब आलम

थाना मेहनाजपुर

9 राशि गोवंश के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तगण /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन के आदेश निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना मेहनाजपुर के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक अतीक अहमद मय हमराहीयान के साथ देखभाल क्षेत्र व भ्रमण ,तलाश वांछित अभियुक्तगण /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन क्षेत्र में मामूर थे कि मुखविर खास से सूचना मिली कि एक ट्रक पर कुछ व्यक्तियों द्वारा गोवंश लादकर वध हेतु ग्राम चिलबिला से सिहुका अबीरपुर के रास्ते होकर जाने वाले है इस सूचना पर क्षेत्र में मामूर उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह व ईगल मोबाइल को तलब कर साथ लेकर मुखविर द्वारा बताये गए सूचना पर सिहुका गेट के आगे पहुंचकर चिलबिला से सिहुका अबीरपुर के रोड पर मौजूद थे कि ट्रक नंबर UP 50 AT 9727 पर लदे 9 राशि गोवंश ट्रक सहित मय एक अदद चापड़ , मय दो अभियुक्त 1. सलमान पुत्र कज्जन ग्राम मनियारपुर थाना कोडवार जनपद सुल्तानपुर 2. जयप्रकाश S/O स्व.नंदलाल ग्राम चिलबिला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर पुलिस कब्जे में लिया गया मौके से एक अभियुक्त भागने में सफल रहा | गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. सलमान पुत्र कज्जन ग्राम मनियारपुर थाना कोडवार जनपद सुल्तानपुर
2. जयप्रकाश S/O स्व.नंदलाल ग्राम चिलबिला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी :

ट्रक नंबर UP 50 AT 9727 पर लदे गोवंश 6 राशि गाय ,2 राशि सांड ,एक राशि बैल कुल 9 राशि गोवंश व एक अदद चापड़

पंजीकृत अभियोग:

मु.अ.सं.72/2020 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम :

1.SI अतीक अहमद , SI प्रमोद सिंह , HC प्रदीप कुमार पाण्डेय , का.गुलाब यादव , का.पारसनाथ, का.शिवप्रताप सिंह, का. चन्द्रमणि त्रिपाठी, का.अनुज सिंह